भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2471
सोमवार, 18 दिसंबर, 2023/27 अग्रहायण, 1945 (शक)

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार

2471. श्री सुनील कुमार मंडल:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश के विभिन्न रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगार पुरुषों/महिलाओं का श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त रोजगार कार्यालयों से पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान प्रदान किए गए रोजगार का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में रोजगार कार्यालय में पंजीकृत महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्रवार-वार ब्यौरा क्या है और इसकी प्रगति के लिए भविष्य में क्या पहलें की जाएंगी और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (घ): रोजगार कार्यालयों का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के पास है। रोजगार कार्यालय नियोक्ताओं की आवश्यकता के अनुसार अधिसूचित रिक्तियों के लिए उम्मीदवारों को प्रायोजित करते हैं। पद को भरने और केंद्र/राज्य सरकारों द्वारा समय-समय पर जारी आरक्षण नियमों/दिशानिर्देशों का पालन करने की जिम्मेदारी नियोक्ता/भर्ती संगठन की है।

राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2022 के दौरान लगभग 25 लाख पुरुषों और 15 लाख महिला नौकरी चाहने वालों (नियोजित/बेरोजगार) ने रोजगार कार्यालयों में खुद को पंजीकृत कराया है। पिछले तीन वर्षों के दौरान रोजगार कार्यालयों (जैसा कि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश सरकारों द्वारा रिपोर्ट किया गया है) के माध्यम से प्लेसमेंट पाने वाले, रोजगार चाहने वालों (नियोजित/बेरोजगार) का राज्य/केंद्रशासित प्रदेश वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

इसके साथ-साथ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। पश्चिम बंगाल में, वर्ष 2020-21, वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 28.1%, 27.4% और 33.1% था।

सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य सहित समस्त भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में, सुरक्षा के अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में सैवैतनिक प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य अवस्थाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा वेतन से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****

अनुबंध

लोक सभा के दिनांक 18.12.2023 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2471 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या रोजगार कार्यालयों के माध्यम से नियोजित रोजगार चाहने वालों की संख्या

(हजारों की संख्या में)

क्र.सं.	**राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र**	**2020**	**2021**	**2022**
1	आंध्र प्रदेश	0.00	0.98	0.1
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.0
3	असम	0.9	0.61	0.0
4	बिहार	0.00	0.00	55.0
5	छत्तीसगढ	4.7	2.95	0.0
6	दिल्ली	0.00	0.00	0.0
7	गोवा	0.00	0.00	1.4
8	गुजरात	232.4	270.2	274.8
9	हरियाणा	0.5	15.3	19.3
10	हिमाचल प्रदेश	0.6	1.37	2.1
11	जम्मू एवं कश्मीर	0.8	0.92	0.4
12	झारखंड	0.6	0.42	0.4
13	कर्नाटक	0.4	0.54	22.7
14	केरल	3.8	9.5	15.4
15	मध्य प्रदेश	0.0	0.0	0.0
16	महाराष्ट्र	56.2	170.0	249.0
17	मणिपुर	0.00	0.00	0.0
18	मेघालय	0.00	0.00	0.0
19	मिजोरम	0.00	0.00	0.0
20	नागालैंड	0.00	0.00	0.5
21	ओडिशा	0.00	0.00	0.1
22	पंजाब	1.0	0.13	0.1
23	राजस्थान	0.00	0.00	0.8
24	तमिलनाडु	1.3	2.0	2.7
25	तेलंगाना	0.1	1.7	0.0
26	त्रिपुरा	0.2	0.0	0.0
27	उत्तराखंड	0.00	0.58	0.0
28	उत्तर प्रदेश	4.0	17.0	0.0
29	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.0
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह (यूटी)	0.00	0.00	0.0
31	चंडीगढ़ (यूटी)	0.6	0.00	0.0
32	दादरा एवं नगर हवेली (यूटी)	0.00	0.00	0.0
33	दमन और दीव (यूटी)	0.00	0.00	0.0
34	लक्षद्वीप (यूटी)	0.00	0.00	0.0
35	पुडुचेरी (यूटी)	0.00	0.00	0.0
36	लद्दाख (यूटी)	0.00	0.00	0.0
अखिल भारत		**308.10**	**494.10**	**644.6**

स्रोत: राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के आधार पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, रोजगार महानिदेशालय द्वारा संकलित रोजगार कार्यालय सांख्यिकी।

नोट: पूर्णांकन के कारण कुल का मिलान नहीं हो सकता है। आकड़ों में उन मामलों को भी शामिल किया गया है जहां राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों से कोई आकड़े प्राप्त नहीं हुए है।